

यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु. नं० 76/17 तारीख रजु 28-6-17

उनवान - रामस्वरूप बनाम कैलाश कौंजोली
करिरी

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत 53 व 188 राजस्मान का शर्कारी
अधिनियम

वादी की ओर से विजय भारती सडकोकेटने दावा
बाबत तकास्मा धारा 53 व स्थायी निषेधाज्ञा RT
अधिनियम धारा 188 पेश किया। प्रस्तुत पाद पत्र के
सापेक्षमा बन्दी व शपथ पत्र का अवलोकन किया
गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को
अरिये सम्मन से तएब कर दिनांक 20/17 को पेश
हो।

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (कसैली)

20.7.17

वादी वकील उप. प्रतिवादी नं. 32, 33 उपस्थित। उनके
पिता उपस्थित। प्रतिवादी नं. 1, 3 ता. 14, 16 ता. 20, 22
ता. 23, 29, 30, 32 ता. 37, 42 के सम्मन पत्रिका के
सदस्यों के पत्रा स्वयं पर तामील हुए हैं, प्रतिवादी नं.
40 का सम्मन न्यस्यांगी से तामील हुआ है किन्तु
कोई भी उपस्थित नहीं है इसलिए इनके विरुद्ध
एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी नं. 2, 15,
24 के सम्मन कदम तामील प्राप्त हुए हैं। प्रतिवादी नं. 21,
25, 28, के फोटो टो जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। प्रतिवादी
नं. 26, 27, 31, 32, 38, 39, 41 के सम्मन बापिस प्राप्त नहीं है।
प्रतिवादी नं. 2, 15, 24, 26, 27, 31, 32, 38, 39, 41 के सम्मन

3643.84
28.6.17

(22)

मंगल (33)

मि. गंगा सिंह

न्यायालय उप जिला कलेक्टर ले

फर्द अहकाम

दिनांक	
	<p>तलकना पुनः पेश हो तथा उतिवारी नं. १, २५, २६ के फौत हो जाने से द. कायमगु काम व नोयिस पेश करे / दिनांक १-८-१७ को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">जगदीश अवं उपजिला कलेक्टर टोडाभोम</p>
२५-९-१७	<p>जनरल पेशी से पेशा हुआ वकूलाय उप. / उतिवारी नं. २७ का वकालतनामा श्री मनोज कुमार शर्मा ने पेशा किया है। अतः पेशा पधार करे दि. १६-१०-१७ को पेश हो</p>
१६-१०-१७	<p>वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी पेशा करे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक १३-११-१७ को पेश हो</p>
१३-११-१७	<p>वकूलाय उप. / वारी वकील द. कायम व नोयिस तलकना पेश करे / दि. २८-११-१७ को पेश करे</p>
२८-११-१७	<p>वकूलाय उप. / गतोदेशिका की पालना करते दि. ८-१-१८ को पेश हो</p>
८-१-१८	<p>वकूलाय उप. / वारी वकील द. कायम गुलाम व नोयिस कागजी सुनवाडी लिखी द. कायमक रूपसे पेश करे दि. २९-१-१८ को पेश हो</p>
२९-१-१८	<p>वकूलाय उप. / द. कायमगु काम व नोयिस पेश करते दि. ८-३-१८ को पेश हो</p>
८-३-१८	<p>वकूलाय उप. / गतोदेशिका की पालना करते लार्डकी दिनांक १०-५-१८ को पेश हो</p>

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

10.4.18 वकूलाय उप०/वादी वकील द० कायम मुकाम
व सम्मान तलवाना पेश करे की हिदायत की। वादी
वकील ने आगामी सुबवाई तिथी पर फालना करे का
अथन क्रिया। दि० 24.4.18 को पेश हो।

24.4.18
वकूलाय उप०/गतनुसार दि० 30.4.18 को पेश हो।

30.4.18 वकूलाय उप०/वादी वकील ने द० कायम मुकाम
पेश करे व सम्मान तलवाना पेश करे के समय प्यादा
दिया गया। फतेर द० कायम मुकाम प (सम्मान तलवाना) दि०
5-6.18 को पेश हो क्रिया करीरी में पेश हो।

5.6.18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्यायशापके
द्वार शिविर करीरी में उस्तुत हुये वादी वकील
एवं वादी में से कोई भी उपस्थित नहीं है
प्रतिवादी न 21, 25, 28 फौत हो चुके हैं वादी ने लोक
कायम मुकाम की द० भी पचास ठकुरा दिने अर्ज
के बाद भी उस्तुत नहीं की है आज शिविर में
भी वादी व वादी वकील उपस्थित नहीं है इसलिए
पह दबा ठकुरा हाजिरी एवं ठकुरा पैरकी में खालि
क्रिया जाता है पत्रावली फौतल शुमार होकर
नम्बर से अग होकर दारिखत दफतल हो।